न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

मु0नं0 29/16

तारीख रजू :–17.06.2016

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (R.A.S.)

मूर्ति मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज विराजमान ग्राम गढमोरा तहसील नादौती जरिये संरक्षक वाद मित्र पुजारी जगमोहन शर्मा पुत्र कैलाश चन्द शर्मा जाति ब्राहम्मण निवासी गढमोरा तहसील नादौती जिला करोली।

..... सायल

बनाम

1. सूरजमल पुत्र भजन्या
2. रामफूल पुत्र किशन्या
3. रामचरण पुत्र नाथ्या
4. रमेश पुत्र हरचन्दा
5. शेरू पुत्र नाथ्या
6. ठण्डी पुत्र नाथ्या

जाति माली निवासी गढमोरा तहसील नादौती जिला करौली

7. भूपेन्द्र पुत्र सुरज्ञानसिंह जाति गुर्जर निवासी गढमोरा तहसील नादौती जिला करौली।

..... गैरसायलान्

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–

प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि सायल मूर्ति मंदिर श्री गोपालजी विराजमान ग्राम गढमोरा तहत तहसील नादौती जिला करौली में विराजमान है। जिसकी सेवा पूजा मूर्ति के नाम दर्ज खातेदारी की भूमि व भवन

इत्यादि की व्यवस्था वाद मित्र व्यवस्थापक पूजारी जगमोहन शर्मा पुत्र कैलाशचन्द शर्मा द्वारा होती है। पूर्व में पुजारी कैलाश चन्द शर्मा जो कि जगमोहन के पिता थे करते रहे है। सायल शाश्वत आवश्यक है।

सायल मूर्ति मंदिर गोपालजी विराजमान ग्राम गढमोरा की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि ख0नं0 455 रकवा 0.01 हैक्टर, 456 रकवा 0.15 हैक्टर, 457 रकवा 0.14 हैक्टर, 458 रकवा 0.30 हैक्टर, 635 रकवा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन चाह स्थित ग्राम गढमोरा तहत तहसील नादौती में स्थित है। सायल का वाद मित्र व्यवस्थापक पुजारी उक्त आराजीयात को कभी आधी बटाई पर व कभी मजदूरी पर काश्त करवाता रहा है। सायल ने गत वर्ष उक्त वर्णित आराजीयात को गैरसायल सं0 1 ता 6 को आध बटाई पर काश्त करने के लिये बतायी थी। फसल तैयार होने पर सायल का वाद मित्र फसल को बटाई करवाने गया तो गैरसायल सं0 1 ता 6 ने सायल के वाद मित्र को आधी बटाई की फसल देने से इंकार कर दिया और कहा कि हमारे पास लट्ठ की ताकत है। राजनीति की शक्ति है, हम तुम्हें बटाई की आधी फसल नहीं देगें। आयन्दा भी उक्त आराजीयात पर जबर्दस्ती से लट्ठ की ताकत के बल पर हम ही काश्त करेगें, सायल को उक्त खेतों की फसल से कभी भी लाभांवित नहीं होने देगें। यदि सायल ने काश्त भी कर ली तो उसे बर्वाद करके रहेगें। सायल के वाद मित्र द्वारा यह कहने पर कि मन्दिर की भूमि है, इसकी पैदावार से ही मूर्ति की सेवा पूजा का खर्चा चलता है।

इस प्रकार अन्याय मत करो, इस पर गैरसायलान और भी गुस्से में हो गये व लट्ठ लेकर झगडा करने पर आमादा हो गये। उसी समय गैरसायल सं0 7 जो कि ग्राम गढमोरा में असरदार व्यक्ति है ने कहा कि गैरसायलान सं0 1 ता 6 ने उक्त वर्णित आराजीयात को बेचान करने बावत् मेरे हक में एग्रीमेन्ट तहरीर कर दिया। आयन्दा में ही काश्त करूंगा। यदि खेतों पर आया तो ठीक नहीं होगा। लडाई झगडे की आशंका देखकर सायल का वाद मित्र वापिस घर आ गया।

दिनांक 10.06.2016 को सायल का वाद मित्र वाद पत्र के चरण सं0 3 में र्णित आराजीयात पर काश्त करने हेतु देखने गया तो समस्त गैरसायलान खेतों र आ गये और कहने लगे कि किसी भी सूरत में तुझे खेतों में काश्त नहीं करने गें। वाद मित्र द्वारा काफी समझाने के उपरान्त भी नहीं माने और जबरदस्ती से

लट्ठ की ताकत के बल पर काश्त करने की धमकी दी। गैरसायलान गिरोहबन्द व झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है। यदि लट्ठ की ताकत के बल पर उन्होने सायल को अपने नाम खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि पर काश्त नहीं करने दी तो सायल को अतुलनीय नुकसान होगा। सायल अपने अधिकारों से वंचित हो जावेगा। मूर्ति की सेवा पूजा के लिए कोई साधन नहीं रहेगा।

गैरसायलान गिरोहबन्द व झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है। वे अपनी गलत हरकतो से तब तक नहीं मानेगें जब तक कि उनको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं कर दिया जावेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस अमर का पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0नं0 455 रकवा 0.01 हैक्टर, 456 रकवा 0.15 हैक्टर, 457 रकवा 0.14 हैक्टर, 458 रकवा 0.30 हैक्टर, 635 रकवा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन चाह स्थित ग्राम गढमोरा तहत तहसील नादौती में सायल के कब्जेकाश्त उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और नहीं किसी अन्य से करावें। उक्त आराजीयात को इकरार नामे के आधार पर रहन वय नहीं करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को वास्ते पेश करने जबाव नोटिस जारी किया गया। नोटिस वाद तामील शामिल मिसल किये गये।

पत्रावली लोक अदालत/न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र गढमोरा में पेश हुई, जिसमें सायल व गैरसायलान को सुना गया। जिसमें सायल ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दोहराते हुये अवगत कराया कि भूमि ख0नं0 455 रकवा 0.01 हैक्टर, 456 रकवा 0.15 हैक्टर, 457 रकवा 0.14 हैक्टर, 458 रकवा 0.30 हैक्टर, 635 रकवा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन चाह स्थित ग्राम गढमोरा तहत तहसील नादौती में सायल के कब्जेकाश्त उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और न हीं किसी अन्य से करावें। उक्त आराजीयात

को इकरार नामे के आधार पर रहन वय नहीं करें। गैरसायलान् ने अपने पक्ष में कोई जबाव/सबूती दस्तावेजी पेश नहीं किये। अतः गैरसायलान का जबाव बन्द किया जाता है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं उभय पक्षकारान् को सुना गया। एवं सुसंगत विधि को भी देखा जाकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्राईमा फेसी केश, सुविधा का संतुलन व अपूर्तिनीय क्षति तीनो ही बिन्दू सायल के पक्ष में होना प्रतीत होते है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट सायल विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वे सायल के कब्जेकाश्त उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और न हीं किसी अन्य से करावें। उक्त आराजीयात को इकरार नामे के आधार पर रहन वय नहीं करें। शांति पूर्वक काश्त करने देवें। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर वाद तकमील नम्बर से कम होकर शामिल वाद रहें।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को लोक अदालत/न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कैम्प अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गढमोरा में सुनाया गया।

महेन्द्र सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नादौती जिला करौली